हुक्माराम बनाम कमलकिशोर वगैरह
मुकदमा नम्बर 215 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

पीठासीन अधिकारी : अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थीः—

हुक्माराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम भांवता तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. कमलकिशोर पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल
2. कमलादेवी पत्नि कुम्भाराम जाति मेघवाल
3. प्रेमाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल
4. सुप्यार पत्नि कमलकिशोर जाति मेघवाल
   निवासीयान ग्राम डेर की ढाणी जूसरी तहसील मकराना।
5. बाबूलाल पुत्र रामनाथ जाति रेगर
6. भगवानसहाय पुत्र रामनाथ जाति रेगर
7. भीवाराम पुत्र रामनाथ जाति रेगर
   निवासीयान ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर।
8. श्रवण पुत्र भीयाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भांवता तहसील नावां।
9. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट
उपस्थित :— श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 8

मुकदमां नम्बर :— 215 / 2022 निर्णय दिनांक : 14.12.2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 435 रकबा 6.48 हैक्टर भूमि में अपनी दर्ज खातेदारी 8993 / 180000 हिस्सा भूमि में ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1271 / 437 रकबा 0.06 हैक्टर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 1269 / 436 रकबा 0.0030 हैक्टर गै.मु. रास्ता की भूमि से आवागमन करता चला आ रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों की भूमि में आवागमन का निकटतम रास्ता है जो मौके पर [illegible] है। इसके अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है जो अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की खातेदारी [illegible] ढाणी रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी [illegible] खसरा नम्बर 435 [illegible] 6.48 हैक्टर भूमि में अपनी दर्ज खातेदारी 8993 / 180000 हिस्सा [illegible] भूमि में आवागमन हेतु [illegible] भांवता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

खसरा नम्बर 1271/437 रकबा 0.06 हैक्टर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 1269/436 रकबा 0.0030 हैक्टर गै.मु. रास्ता को गै.मु. कटाणी रास्ता दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अनपुस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर से इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1271/437 रकबा 0.06 हैक्टर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 1269/436 रकबा 0.0030 हैक्टर गै.मु. रास्ता की भूमि से प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर चाहे गये रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं है हमारी पूर्ण सहमति है तथा उक्त रास्ते के एवज में किसी भी प्रकार की कोई मुआवजा राशि व भूमि नहीं चाहिए।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 435 रकबा 6.48 हैक्टर भूमि में अपनी दर्ज खातेदारी 8993/180000 हिस्सा भूमि में आवागमन हेतु ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1271/437 रकबा 0.06 हैक्टर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 1269/436 रकबा 0.0030 हैक्टर गै.मु. रास्ता को गै.मु. कटाणी रास्ता दर्ज करवाना चाहता है जिसपर अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 ने इकबाली जवाब पेश कर सहमति दी है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1271/437 रकबा 0.06 हैक्टर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 1269/436 रकबा 0.0030 हैक्टर गै.मु. रास्ता को गै.मु. कटाणी रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 435 रकबा 6.48 हैक्टर भूमि में आवागमन हेतु ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 1271/437 रकबा 0.06 हैक्टर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 1269/436 रकबा 0.0030 हैक्टर गै.मु. रास्ता को राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार नावां को आदेशित किया जाता है कि अपील अवधि समाप्ति पश्चात एवं उक्त प्रकरण सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील योग्य न होने की स्थिति में तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम करते हुए गै.मु. कटाणी राजकीय रास्ता दर्ज किया जावे। खातेदारों का हिस्सा संबंधित बैंक के पक्ष में यथावत रहेगा। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:29 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)